मध्य प्रदेश शासन
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन–462004
:::आदेश:::

भोपाल दिनांक– 01/10/2021

क्रमांक 6–32/2014/पैंतीसः:डॉ0 एम.एम.अहिरवार, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पशु चिकित्सोलय बड़ामलहरा जिला छतरपुर को विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय सागर के द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मचारी श्री राजकुमार जैन, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी से पशु औषधालय रामटोरिया से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया।

2/ डॉ0 एम.एम.अहिरवार, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पशु चिकित्सालय बड़ामलहरा जिला छतरपुर के विरूद्व विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपराध क्रमांक 247/2014, धारा 7, 13(1) डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दि0 11.06.2014 को अपराधिक प्रकरण पंजीबद्व किया जाना विवेचना में लिया गया। विभागीय आदेश दि0 29.10.2014 द्वारा डॉ0 अहिरवार के विरूद्व दंडनीय अपराध के लिए न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने हेतु अभियोजन संस्थित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। विभागीय आदेश दि0 23.12.2014 को डॉ0 अहिरवार को निलंबित किया गया।

3/ उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी जिला छतरपुर के पत्र दि0 12.03.2021 अनुसार मान0 विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/14 में पारित निर्णय दि0 4.3.2021 द्वारा डॉ0 अहिरवार को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध मं 4 वर्ष सश्रम कारावार एवं 15000/– रूपये अर्थदंड तथा धारा 7, 13(1) डी, सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/–रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर क्रमशः 3 माह एवं 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी गई है।

4/ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 6–2/98/3/1, दि0 8 फरवरी 1999 की कंडिका क की उप कंडिका एक में स्पष्ट प्रावधान है कि सेवारत शासकीय सेवकों के मामलों में यदि किसी आपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व पाए जाते हैं, जिसमें उनका नैतिक पतन अंतर्विलित हो तो यह अपेक्षा है कि उसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियमंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 10(नौ) में प्रावधानित सेवा से पदच्युत (क्पेउपेमंस) करने की शास्ति अधिरोपित की जाना चाहिएं।

5/ उक्त परिपत्र की कंडिका 73 में प्रावधान है कि अपचारी शासकीय सेवा की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई हो तो सर्वप्रथम विभागीय प्रस्ताव पर लोक सेवा आयोग का मत प्राप्त किया जाए।

6/ अतः डॉ0 अहिरवार को मान0 विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/14 में पारित निर्णय दि0 4.3.2021 द्वारा दंडित किए जाने के कारण सेवा से पदच्युत किए जाने का अनंतिम प्रशासकीय निर्णय दिनांक 08.06.2021 को लिया गया। विभाग के अनंतिम प्रशासकीय निर्णय पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने उनके पत्र दिनांक 1 सितम्बर, 2021 द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए लेख किया कि :–

प्रकरण की परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचारोपरांत यह पाया गया कि डॉ0 एम.एम.अहिरवार, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी जिला छतरपरु को मान0 विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, छतरपुर द्वारा अपराध प्रकरण क्रमांक 247/14 में

3230/C
5/10/21

पारित निर्णय दिनांक 04.03.2021 द्वारा उन्हें दोषसिद्ध पाये जाने के कारण शासन ने उनके विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दि0 08.02.1999 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वगीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–10 (9) के अंतर्गत उन्हें सेवा से पदच्युत (Dismiseal) करने का अनंतिम प्रशासकीय निर्णय लिया है, वह आयोग के मत में उचित है।

7/ डॉ0 अहिरवार द्वारा किया गया कृत्य म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम (1) एवं (3) के अंतर्गत कदाचरण की परिधि में आने एवं आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने के कारण राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ0 एम.एम. अहिरवार, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सालय बड़ामलहरा, जिला छतरपुर को म0प्र0सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 (9) में प्रावधानित नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से पदच्युत (Dismiss) करने की दीर्घशास्ति से दंडित करता है।

डॉ - 4186
CMIS

04 OCT 2021

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
01/10/2021
(सुनील मड़ावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग

पृ0क्रमांक एफ–6–32/2014 पैंतीस
प्रतिलिपिः–

भोपाल दिनांक 01/10/2021

1/ निज सहायक,मान0 मंत्रीजी पशुपालन भोपाल,
2/ निज सहायक,अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन पशुपालन विभाग,
3/ संचालक, पशुपालन मध्यप्रदेश, भोपाल
4/ संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, सागर संभाग, सागर,
5/ उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, छतरपुर,
6/ डॉ0 एम.एम.अहिरवार, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सालय बड़ामलहरा, जिला छतरपुर

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

7/ प्रभारी बेवसाइट, संचालनालय पशुपालन की ओर बेवसाइट में अपलोड करने बावत।
8/स्टॉक फाईल.

01/10/2021
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग

MIS/34
5.10.21